

15 | 31⁰खल०३० समस्तीपुर (अ०उ०य०अं०३४) 44 | 2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

33
25

सं०..... डी० एल० ए० समस्तीपुर - 761/276 दिनांक 2.7.13-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम रामपुर जलालपुर चादर नं०-3 परगना-सरैया, थाना-दलसिंहसराय, थाना नं०-75 जिला समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् वरुणापुल से रसियारी पथ राज्य उच्च पथ सं०-88 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम रामपुर जलालपुर चादर नं०-3 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश 0.18 एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं० अंश 5189, 5190, 5197 एवं पूर्ण खेसरा संख्या शून्य है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या 5189 है।

पूरब:- खेसरा संख्या 5200 है।

दक्षिण:- अंश खेसरा संख्या 5190 है।

पश्चिम :- सीमा रेखा ग्राम गौसपुर इनायत।

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 (यथा बिहार अधिनियम 11, सन् 1964 द्वारा संशोधित) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है। बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर तथा उनके स्टाफ इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे प्रबंधक (तकनीकी) पी० आई० यू०-3 बी. एस. आर. डी. सी. एल. हाजीपुर के पदाधिकारी और उनके स्टाफों को प्राधिकृत करती है के वे भूमि पर प्रवेश कर इसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 में उपबन्धित या यथा विनिर्दिष्ट अपने सभी कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की यह राय है कि उक्त भूमि का तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि धारा 5 अ० के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।

के आदेश पर

बिहार राज्यपाल की सचिवालय

जिला भू-अर्जन पदा०

समस्तीपुर।

49/12
14.12.12

अर्जन समस्तीपुर

समस्तीपुर।

समाहत्ता

समस्तीपुर।

5/3/13
(नरेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

124
- 761/सू
ज्ञापक..... / डी० एल० ए० समस्तीपुर पटना, दिनांक = ०७.०३-१३

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को अधिसूचना के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू-अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।
समाहर्ता समस्तीपुर / आयुक्त
दरभंगा प्रशासन, दरभंगा की सूचना प्रेषित।
अनु० :- यथोक्त।

~~ज्ञापक..... / डी० एल० ए० समस्तीपुर पटना, दिनांक.....~~

प्रतिलिपि जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को अधिसूचना के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।

अनु० :- यथोक्त

07/3/13
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव